न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 62/2020 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :– 1. पैलादराम पुत्र तुलछाराम 2. मेहराराम पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी भाडो का तला, तहसील धनाऊ जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. मोटाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी भाडो का तला तहसील सेडवा जिला बाडमेर
3. श्रीमान तहसीलदार धनाऊ।

वकील प्रार्थीगण :– श्री मोहनलाल खिलेरी

वकील विप्रार्थी सं. 1:– श्री बाबुलाल जाणी

सहायक कलक्टर सेड़वा

निर्णय

दिनांक 02.09.2022

प्रार्थीगण पेलादराम पुत्र तुलछाराम वगैरा जाति जाट निवासी भाडो का तला तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एक काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत मौजा भाडो का तला पटवार हल्का भूणिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भूणिया तहसील धनाऊ के खसरा सं. 133/55 रकबा 136.03 बीघा बा.सो. भूमि का आया हुआ है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। तथा अपने रहवासी हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण की जोत व ढाणियां पर आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 134/55 रकबा 67.17 बीघा बा.सो. में से चलकर सडक मार्ग तक आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कदीम रास्ता है जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षो से करते [illegible] है तथा यह एक मात्र रास्ता है काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खेत [illegible] रकबा 136.03 बीघा के चारो ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते [illegible] को अपनी जोत में [illegible] बाधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:52:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

जाते एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगडा होने की पूर्ण सम्भावना ब रहती है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी कि गए। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबुलाल जाणी ने जवाब पेश किया जि शामिल पत्रावली किया जाता है। विप्रार्थी संख्या 1 के वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब निम्नानुसा है– प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा 134/55 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा मौके पर भूमि खाली भी नहीं है तथा विप्रार्थी संख्या 1 की ढाणी, पानी का टांका व ओरणी बनी हुई है तथा कृषि आया हुआ है तथा न ही विप्रार्थी संख्या 1 की प्रस्तावित भूमि में किसी सरकारी या कटाण मार्ग है इस प्रकार प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के प्रावधानों का उल्लघन करते हुए आवेदन पेश किया है जो कतई स्वीकार योग्य नही है। मौके पर पूर्व से चल रहे खसरा संख्या 136/55 कदीमी रास्ते को ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जाना होता है। परन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रस्तावित स्थल पर पहले से कोई रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी अपने खेत व ढाणी आने जाने हेतु अन्य खेत खसरा संख्या 136/55 से नजदीक में रास्ता उपलब्ध है परन्तु प्रार्थी ने मात्र राजनैतिक दैष भावना से ग्रसित होकर यह आवेदन विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 135/66 में प्रार्थीगण के अलावा अन्य कई सहखातेदार परन्तु प्रार्थीगण ने अपने सहखातेदारों को न तो प्रार्थी पक्षकार बनाया है तथा न ही विप्रार्थीगण पक्षकार बनाया गया है तथा समस्त पक्षकारों के अभाव में तथा पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण प्रार्थीगण का आवेदन पोषणीय नहीं है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावें। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम भाडो का तला में प्रार्थीगण वगैरा जाति जाट के खातेदारी खेत खसरा संख्या 133/22 रकबा 136.03 हैक्ट. किस्म बारानी सोयम में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण मोटाराम वगैराह के ग्राम भाडो का तला के खसरा संख्या 134/55 रकबा 67.17 बीघा किस्म बारानी सोयम में से होकर डामर सड़क मार्ग तक पहुंचने हेतु [illegible] मांग की है। प्रार्थीगण द्वारा मांगे प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई [illegible] नहीं है। रास्ते हेतु [illegible] भूमि आवागमन योग्य है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:52:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोटाराम पुत्र लालाराम जाति जाट निवासी भाडो का तला	134/55	67.17 बीघा	20 फीट	1.02	भाडो का तला	42233	बारानी सोयम

प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 133/55 रकबा 136.03 बीघा में आने जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 134/55 रकबा 67.17 बीघा कटाण रास्ता खसरा नम्बर 56 से खसरा नम्बर 133/55 में आवागमन हेतु ख.स. 137/55 में से रास्ते का परिक्षण किया गया परन्तु खसरा सख्या 137/55 व 37 के बीच माठ के पास ट्यूबवैल, विधुत कनेक्शन, डी.पी, आदि होने से आवागमन हेतु अनुपलब्धता व सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है व खसरा सख्या 134/55 व 136/55 की माठ पर रेतीला धोरा खडी चढाई होने के कारण आवागमन हेतु उपयुक्त नहीं है तथा पूर्व में खसरा नम्बर 133/55 व 134/55 के संयुक्त खातेदारी होने व पूर्व से प्रचलित रास्ता इसी खसरे में होने के कारण संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित रास्ते पर कीमती वृक्ष नहीं है। मोके पर उक्त प्रस्तावित भूमि खाली है।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । सलंग्न दस्तावेजों एवं विप्रार्थी संख्या 1 के जवाब एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मोटाराम वगैरा	134/55	67.17 बीघा	20 फिट	1.02	भाडो का तला	–	बरानी सोयम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:52:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा व फर्द मौका में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण द्वारा क[illegible] 134/55 रकबा 67.17 बीघा के अंदर से जो रास्ता चाहा गया है वह आंशिक नक्शा में काले रंग से दर्शाया गया रास्ता

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

र्थीगण को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्त: स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस काला रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। तथा क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि प्रार्थीगण विप्रार्थीगण को अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तो की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार सेड़वा द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का [illegible]न तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का [illegible]निश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:32:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इन्कार करता हो तो प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।

6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 02.09.2022 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

सहायक कलक्टर सेड़वा

(रमजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:52:07 IST
Reason: SelfAttested